कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक प.23 / 1 / आब / लेखा / 09 / 401 दिनांक 05.03.2009

जिला आबकारी अधिकारी,

अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, टौंक, झुंझनू, सीकर, सवाईमाधोपुर, , बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, बूंदी, बॉसवाड़ा, राजसमंद ।

विषयः— उत्पादन क्षैत्र के 12 डोडापोस्त समूहो के बंदोबस्त के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय की आवेदन आमंत्रण सूचना क्रमांक प.23 (1) आब / लेखा / 09 / 284 दिनांक 10.2.09 के बिन्दु संख्या 9 में वर्ष 2009—10 के लिए उत्पादन क्षैत्र के डोडापोस्त समूहो हेतु आवेदन दिनांक 12.3.09 तक कर सकने का उल्लेख है । उक्त बिन्दु में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि उत्पादन क्षैत्र के 12 डोडापोस्त समूहो हेतु दिनांक 13.3.09 को आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय उदयपुर में प्रस्तुत कर सकेगे। इस आवेदन प्रक्रिया में खपत क्षैत्र के 24 डोडापोस्त समूहो के अनुज्ञाधारी /सफल आवेदक ही भाग ले सकेगे। आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया संलग्न सूचना के अनुसार रहेगी। कृपया आवेदन आमंत्रण की प्रक्रिया से आपके जिले के डोडापोस्त अनुज्ञाधारियो को अवगत करवाकर उनसे इसकी पावती प्राप्त करे ।

मुख्य लेखाधिकारी,
आबकारी विभाग,
राजस्थान,उदयपुर।

u.o.note

वर्ष 2009–10 हेतु डोडापोस्त उत्पादन क्षैत्र के 12 समूह के लिए आवेदन आमंत्रण प्रक्रिया

1. डोडापोस्त खपत क्षैत्र के 24 समूहो के सफल आवेदक जिन्होने धरोहर राशि जमा करवा दी है वे ही डोडापोस्त उत्पादन क्षैत्र के 12 समूहो के लिये आवेदन कर सकने के लिए पात्र होगे।

2. डोडापोस्त खपत क्षैत्र के एक सफल आवेदक को उत्पादन क्षैत्र के एक समूह का ही आवंटन किया जा सकेगा अर्थात उत्पादन क्षैत्र का कोई एक समूह आवंटन हो जाने के उपरांत वह शेष समूह के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नही होगा ।

3. सर्व प्रथम सर्वाधिक राशि वाले समूह के लिए आवेदन लिये जायेगे। इसके लिए खपत क्षैत्र के 24 सफल आवेदनकर्ताओ में से जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहे उनके द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क व अर्नेस्टमनी जमा करवाने के बाद उनके मध्य लाटरी प्रक्रिया की जायेगी।

4. इनमे से जिस व्यक्ति का चयन हो जायेगा वह शेष समूह के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नही होगा।

5. इसके पश्चात दूसरे सर्वाधिक राशि वाले समूह के लिए आवेदन लिये जायेगे।इस प्रकार लाईसेंस फीस के अवरोही (descending) क्रम में शेष समूहो के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेगे ।

6. किसी समूह के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन भी प्रस्तुत किये जा सकेगे परन्तु उनके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क व अर्नेस्टमनी की राशि जमा करवाना आवश्यक होगा।

7. आवेदन आमंत्रण की यह कार्यवाही दिनांक 13.3.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर के सभा कक्ष में प्रारंभ की जावेगी तथा इस कार्यवाही के दौरान 24 समूहो के सफल आवेदक अथवा उनके पावर ऑफ एर्टोनी ही उपस्थित रह सकेगे।

8. किसी भी समूह के लिए सफल आवदेक का चयन हो जाने के उपरांत शेष आवेदनकर्ताओ की अर्नेस्टनी उसी समय लौटा दी जावेगी जिसे शेष समूह के लिए आवेदन करने के लिए काम में लिया जा सकता है ।

9. आवेदन आमंत्रण की प्रक्रिया के संदर्भ में किसी प्रकार का संशय अथवा विवाद होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।